राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बाजपुर

मैनुअल –05 नियमों, विनियमों निर्देशों और अभिलेखों की सूची।

विभाग के अन्तर्गत संचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं शिशिक्षु प्रशिक्षण के कृत्यों के निर्वहन के लिए निम्न निर्देशों / अधिनियमों का अनुपालन किया जाता है :–

1. शिल्पकार प्रशिक्षण :– इस योजना के अन्तर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण के सुचारू संचालन एवं प्रशासकीय नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिये मण्डलीय स्तर पर संयुक्त निदेशक (प्रशि0/शिशि0) कार्यालय स्थापित किया गया है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश, प्रशिक्षण व्यवस्था, संबंधन, अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा, कर्मचारियों/अधिकारियों के कार्यो, भारत सरकार व्यावसायिक प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद द्वारा ट्रैनिग मैनुवल के अनुरूप सुनिश्चित कराया जाता है।

2. विभागीय कर्मचारियों के प्रशासकीय व्यवस्था हेतु शासन द्वारा निर्धारित वित्तीय नियम खण्ड–2 भाग–2 से 4, शासनादेश संग्रह का अनुपालन किया जाता है ।

3. वित्तीय व्यवस्थाओं के लिए वित्तीय नियम संग्रह भाग–5 खण्ड–एक , भविष्य निधि , यात्रा भत्ता नियमावली का पालन किया जाता है ।